11/10/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित है। प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी. पी. सी. पर वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजियात मौजा बोरेडा में स्थित खेत जिनके खसरा नं. 1126, 1128, 1129, 3985/1132 खेत श्रीमान के न्यायालय के द्वारा दिनांक 08.12.2016 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किये गये। किन्तु माननीय न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.2.2019 में श्रीमान के न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त कर दिये गये किन्तु वाद में संशोधित पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय के निर्णय की अपील माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर में प्रस्तुत की गई। राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 07.6.22 द्वारा आप न्यायालय के अंतिम निर्णय व डिक्री [illegible] बहाल किये जाने [illegible] पक्षकार निवेदन है कि 08.12.2016 से पूर्व स्थिति कायम करने हेतु आदेश फरमाया जावे। वकील प्रार्थी की बहस सुनी

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.12.15 15:31:11 IST
Reason: SelfAttested

गई। प्रा. पत्र एवं मूल वाद का
अवलोकन किया। माननीय न्यायालय
राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर
द्वारा राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 के नियम 18 से
21 के प्रावधानों के अंतर्गत पुनः
फर्द बटवारा का प्रस्ताव प्राप्त
करने हेतु निर्देशित किया गया
है केवल न्यायालय की अंतिम
डिक्री ही निरस्त की गई है।
ऐसी स्थिति में चूंकि पुनः विभाजन
प्रस्ताव मंगवाये जाने पर प्रार्थी
ने जो कथन प्रा. पत्र 144 में जो
सहायता मांगी गई है वह
विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर
जो अंतिम निर्णय व डिक्री पारित
की जावेगी उसमें प्रार्थी को स्वतः
ही अनुतोष प्राप्त हो जावेगी।
इस स्तर पर प्रा. पत्र 144 में
किसी प्रकार का आदेश किया
जाना न्यायोचित नहीं है इसी स्तर
पर कार्यवाही समाप्त की जाकर
खारिज किया जाता है। निर्णय
खुले में जरिये लिखाया [illegible]
सुनाया गया। [illegible]
सुनाकर [illegible]
मूल वाद [illegible] हो।
[illegible] हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.12.15 15:31:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी